(149)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 585-II/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.02.2016, पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 209/2012-13

सुरेश शुक्ला पुत्र श्री जमुना शुक्ला,
निवासी- पटना, पोस्ट बरौ, तहसील सेमरिया,
जिला-रीवा (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

1- बैधनाथ शुक्ला पुत्र स्व. श्री रामदेव शुक्ला,
2- उदयनाथ शुक्ला पुत्र स्व. श्री रामदेव शुक्ला,
3- शुभेन्द्र शुक्ला पुत्र स्व. श्री रामदेव शुक्ला,
निवासीगण पटना, पोस्ट बरौ, तहसील सेमरिया,
जिला-रीवा (म.प्र.)
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
4- मुस. शिवकलिया पत्नी स्व. श्री जगदीश शुक्ला,
5- गणेश प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व. श्री जगदीश शुक्ला,
6- भूपेन्द्र शुक्ला पुत्र स्व. श्री जगदीश शुक्ला,
निवासीगण थनवरिया, तहसील सेमरिया,
जिला-रीवा (म.प्र.)
7- विटीवा पुत्री श्री सीताराम,
8- मनभरण शुक्ला पुत्र स्व. श्री श्यामलाल शुक्ला,
9- अनवीर पुत्री स्व. श्री श्यामलाल शुक्ला,
10- निरसी शुक्ला पुत्री स्व.श्री श्यामलाल शुक्ला
11- केशकली पुत्री स्व.श्री श्यामलाल शुक्ला
12- बद्री शुक्ला पुत्र स्व. श्री देवलाल शुक्ला,

13– रामायण शुक्ला पुत्र स्व. श्री देवलाल शुक्ला,
14– तेजभान शुक्ला पुत्र स्व. श्री देवलाल शुक्ला,
15– सत्य नारायण शुक्ला पुत्र स्व. श्री रामलाल शुक्ला,
16– दुइजी पत्नी स्व. श्री रामलाल शुक्ला,
निवासीगण ग्राम पटना, पोस्ट बरौ, तहसील सेमरिया,
जिला–रीवा (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक आवेदक

आदेश

(आज दिनांक 17.../02/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 609/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आराजी नं.9 रकबा 0.14 एकड़ तथा आराजी नं.10 रकबा 0.28 एकड़ स्थित ग्राम पटना आवेदक एवं अनावेदकगण की पुश्तैनी भूमि है। जिसमें से आराजी नं.10 रकबा 0.28 एकड़ में आवेदक के पिता स्व. जमुनाराम का नाम खातेदार के रूप में रामकुमार व रामलाल बगैहर का नाम वर्ष 1958–59 के खतौनी में अभिलेख दर्ज है और मुताबिक 1958–59 में खतौनी के अनुसार आवेदनकर्त्ता के पिता का हिस्सा 1/6 हिस्सा और स्व. जमुना के भाई राम कुमार का हिस्सा 1/6 होता है और बाद में रामकुमार की मृत्यु लाबल्द फौत हो जाने से रामकुमार का हिस्सा जमुना राम के हिस्से में दर्ज होकर जमुनाराम द्वारा अपने भाई रामकुमार के हिस्से को शामिल कर आराजी नं.10 के 1/3 हिस्सा यानि 0.09 एकड़ मौके पर काबिल कास्त हो गये और निरंतर काबिज चले आ रहे हैं। इसी तरह आराजी नं.10 के 1/3 हिस्सा यानि 0.09 एकड 14 एकड भी निगरानीकर्त्ता एवं गैरनिगरानीकर्त्ता की पुश्तैनी भूमि है। किन्तु सहवन राजस्व अभिलेख में निगरानीकर्त्ता के मालिक मुखिग्राकर्त्ता खानदान के रूप में अन्य के अतिरिक्त गैरनिगरानीकर्त्तागण मूरिसान का नाम दर्ज रहा आया, किन्तु अरसा पूर्व हुए

आराजी हिस्सा बांट के मुताबिक दोनों अराजीयों को मिलाकर कुल रकवा 0.42 एकड में 1/3 हिस्सा यानि 0.14 एकड, रकवा निगरानीकर्त्ता के रूप में प्राप्त होकर निगरानीकर्त्ता का स्वत्व, आधिपत्य मौके से अरसा पूर्व कायम चला आ रहा है और निगरानीकर्त्ता द्वारा अपने हक व हिस्से को बंटवारा हेतु आवेदन तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस सभी अनावेदकगण को सूचना जारी की गयी, जिसमें गैरनिगरानीकर्त्ता क्रमांक 1 लगायत 3 ने आपत्ति प्रस्तुत की तथा शेष गैर– निगरानींकर्त्ता द्वारा कोई आपत्ति अथवा विरोध नहीं किया था। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 05.01.2013 पारित किया गया, जिसके विरोध में गैरनिगरानीकर्त्ता क्र.1 लगायत 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसमें निगरानीकर्त्ता को बगैर सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक 28.02.2013 से अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 05.01.2013 अपास्त किया, इसके पश्चात निगरानीकर्त्ता द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 02.02.2016 से स्वीकार की गयी। इसी से असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर अभिभाषक के तर्क सुने तथा आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सन् 1986 आर.एन.1 सौदानसिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मण्डल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय की याचिका के समान अधिकार प्राप्त हैं। राजस्व मण्डल, विवादित आदेश ही नहीं वरन् अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेशों पर विचार कर सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समस्त आदेशों पर विचार किया जा रहा है। प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि निगरानीकर्त्ता द्वारा जो वर्ष 1958–59 की खतौनी प्रस्तुत की है, उसमें निगरानीकर्त्ता के पिता स्व. जमुना प्रसाद व चाचा स्व. रामकुमार का 1/6, 1/6 हिस्सा खेतिहर कॉलम में दर्ज है। ग्राम पंचायत पटना, जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा प्रमाणित सजरा प्रस्तुत किया है, जिससे साबित है कि मूल पुरुष रामसंजीवन के वारिस हैं, गैरनिगरानीकर्त्ता का भी आवेदित भूमियों हक व हित मुताबिक हिस्सा निहित है। हल्का पटवारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन में मौके के कब्जा दखल के अनुसार पंचनामा तैयार करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके

आधार पर विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में हल्का पटवारी प्रतिवेदन और निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया। आराजी नं.9 रकबा 0.014 एकड में गैरनिगरानीकर्त्तागण के मूरिसान का नाम मालिक मुखियाकर्त्ता खानदान के रूप में दर्ज था किन्तु मौके के मुताबिक हिस्सा बाट के अनुसार पैत्रिक भूमि होने से आराजी नं.9, 10 जो एक खेत एवं मेड में रूप में शामिल है, दोनों आराजियों को शामिल कर 1/3 हिस्सा यानिक 0.014 एकड पर निगरानीकर्त्ता का स्वत्व, आधिपत्य मौके से कायम है। अनुविभागीय के न्यायालय में निगरानीकर्त्ता को कभी किसी रूप से सम्मन, सूचना तामील नहीं की गयी। तामील कुनिन्दा द्वारा फर्जी टीप अंकित कर संतोष व मनोज के नाम के व्यक्तियों के हस्ताक्षर कर कूटरचना की गयी है, साक्षी के रूप में दर्ज करते हुए सम्मन तामील दिखाई गयी है, जबकि सम्मन में दर्ज गवाह संतोष व मनोज मिश्रा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति होकर शपथपत्र प्रस्तुत किया था कि उनके समक्ष कभी कोई सम्मन की तामील निगरानीकर्त्ता को नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में जो आदेश अनुविभागीय अधिकार सिमरिया एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित किये गये है, अभिलेख के अनुसार नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 अनुविभागीय अधिकारी, सेमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 अपास्त किये जाते हैं एवं नायब तहसीलदार सेमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2013 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर